

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-20/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बाद टिप्पणी तारीख साथ
04.05.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.06.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख 25.06.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
25.06.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 15.07.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख 15.07.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
15.07.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.07.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख 20.07.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
20.07.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय-बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।</p>	
13.12.2019	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता के द्वारा दिनांक 13.12.2019 को आवेदन पत्र दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा TA Misc Case No.-20/2019-20 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण एवं क्रेता को भूमि बिक्री में अभिरुची नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु वर्तमान में सहमत हैं। बिक्रेता के द्वारा उक्त अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए उक्त भूमि अंतरण हेतु अनुरोध किया गया है। बिक्रेता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अंतरण हेतु स्वीकृति दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-607, दिनांक-22.10.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-25.10.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने</p>	

प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री बुधु पुरती, पिता-स्व0 चाम्बरा पुरती, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-भालियाकुदर वार्ड नं0-02, थाना-चक्रधरपुर, जिला प0 सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा-जोगीबेड़ा, थाना नं0-77, खाता नं0-71, खेसरा नं0-01, रकवा-0.06 ए0 भूमि क्रेता मदन मोहन केराई, पिता-कार्तिक केराई, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-कायदा, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प0 सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री बुधु पुरती, पिता-स्व0 चाम्बरा पुरती, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-भालियाकुदर वार्ड नं0-02, थाना-चक्रधरपुर, जिला प0 सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-चक्रधरपुर, जिला- प0 सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.61.000 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता श्री बुधु पुरती, पिता-स्व0 चाम्बरा पुरती, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-भालियाकुदर वार्ड नं0-02, थाना-चक्रधरपुर, जिला प0 सिंहभूम उक्त भूमि 50,000/- (पचास हजार) रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूलक अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।

Deem
13.12.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।